बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का०आ०सं०–भवन–03 / स्था०–पदा०–01 / 2025.................................. / पटना, दिनांक ....

:: आदेश ::

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस०एल०पी०(सी०) संख्या–7257/2023 शशि भूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक–04.10.2024 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–19 दिनांक–01.01.2025 द्वारा विज्ञापन संख्या–01 / 2019 के तहत भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी थी। इन सभी अनुशंसित अभ्यर्थियों का दिनांक–20.01.2025 से 24.01.2025 तक आयोग द्वारा भेजे गए डोजियर के अनुरूप प्रमाण–पत्रों का सत्यापन किया गया। उक्त अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थी को अंतिम अवसर देते हुये आवश्यक सूचना ज्ञापांक–11546(भ) दिनांक–22.09.2025 द्वारा दिनांक–30.12.2025 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्यालय अवधि तक भवन निर्माण विभाग के छठे तल पर अवस्थित सभाकक्ष में प्रमाण–पत्र / वांछित अभिलेख का सत्यापन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

उक्त कॉउंसिलिंग में मात्र 01 (एक) अभ्यर्थी – श्री राकेश कुमार उपस्थित हुये, जिन्हें विभागीय आदेश संख्या–438(भ) दिनांक–14.01.2026 द्वारा कनीय अभियंता (असैनिक) के पद नियुक्त किया गया। उक्त के आलोक में उनके द्वारा भवन निर्माण विभाग (मुख्यालय) में योगदान समर्पित किया गया है।

अतएव उनके द्वारा विभाग (मुख्यालय) में समर्पित योगदान को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–4 में अंकित तिथि से स्वीकृत करते हुये उन्हें स्तम्भ–5 में अंकित प्रमण्डल में अगले आदेश तक निम्नरूपेण पदस्थापित किया जाता है :–

क्र० सं०	कनीय अभियंता का नाम / गृह जिला	आयोग द्वारा अनुशंसित समेकित सीरियल नम्बर	योगदान की तिथि	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5
1.	श्री राकेश कुमार / मुजफ्फरपुर	1161	09.07.2026	भवन प्रमण्डल समस्तीपुर अन्तर्गत भवन अवर प्रमण्डल संख्या–1 का प्रशाखा–02

2. यह पदस्थापन नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) के द्वारा समर्पित सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं तथा शपथ–पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों को सही मानते हुए की जा रही है। यदि भविष्य में उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र / अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाती है तो इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। संबंधित कार्यालय / विभाग अपने स्तर से भी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं की शैक्षणिक प्रमाण पत्र / अभिलेखों की जाँच कर लेंगे।

3. यह पदस्थापन नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) के पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

4. नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) को निदेश दिया जाता है कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर नव पदस्थापित कार्यालय में शैक्षणिक योग्यता, आवासीय प्रमाण पत्र, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी शपथ पत्र एवं अन्य वांछित कागजात की स्व–अभिप्रमाणित प्रति के साथ योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

कृ०पृ०उ०

5. नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) का वेतनादि का भुगतान उनके पदस्थापित कार्यालय/वि... द्वारा भुगतेय होगा।

6. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि उनके कार्यालय में पदस्थापित कनीय अभियंता (असैनिक) का योगदान प्रतिवेदन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7. संबंधित कार्यालय को यह निदेशित किया जाता है कि पूर्व से नियोजित/सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान में कार्यरत नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) की योगदान की स्वीकृति एवं वेतनादि की निकासी की कार्रवाई पूर्व में कार्यरत संस्थान के सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/विरमन पत्र की प्रति प्राप्त करने के पश्चात् करेंगे एवं इसकी सूचना इस विभाग को भी उपलब्ध करायेगें।

8. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) का तीन माह के लिए औपबंधिक रूप से योगदान स्वीकृत करेंगे तथा नियुक्ति प्राधिकार से नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि करा लेंगे। यदि तीन माह के अन्दर यह सम्पुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) की वेतनादि का भुगतान तबतक नहीं की जायेगी जब तक भवन निर्माण विभाग से इनकी नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि नहीं हो जाती है।

9. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं०–1964 दिनांक–31.08.2005 एवं 768 दिनांक–03.07.2007 के अनुसार नव नियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) का नई अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत स्थायी सेवानिवृति लेखा संख्या (PRAN No.) निश्चित रूप से सृजित कर लिया जाय।

10. नव पदस्थापित कार्यालय में योगदान करने के लिए कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

11. भविष्य में किसी प्रकार के त्रुटि अथवा पार्थक्यता पाये जाने पर इसे तद्नुसार संशोधित/रद्द कर दिया जायेगा।

12. नवनियुक्त कनीय अभियंता का वेतन (कंडिका–1 के स्तम्भ–4 में वर्णित विभाग में योगदान की तिथि से) उनके पदस्थापन कार्यालय से भुगतान होगा।

13. संबंधित कनीय अभियंता से वेतन भुगतान के पूर्व इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जायेगा कि इनके द्वारा कंडिका–1 के स्तम्भ–4 में अंकित विभाग में योगदान की तिथि के बाद का वेतन अपने पूर्व के संविदा कार्यालय से नहीं लिया गया है।

ह०/–
(शिव रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–भवन–03/स्था०पदा०–01/2025 ..../पटना, दिनांक–...................................

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलज़ारबाग, पटना–07 को भेजने हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–भवन–03/स्था०पदा०–01/2025 ..../पटना, दिनांक–...................................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, समस्तीपुर, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक–भवन–03/स्था०पदा०–01/2025 ..../पटना, दिनांक–.................................

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिकी/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/मुख्य अभियंता (उत्तर)/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, दरभंगा/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–भवन–03/स्था०पदा०–01/2025 ..../पटना, दिनांक–.................................

प्रतिलिपिः– संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–भवन–03/स्था०पदा०–01/2025 7894(भ)/पटना, दिनांक–20/8/25

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/8/25

सरकार के संयुक्त सचिव।

C:\Users\HP\Desktop\Work 2025\Vishal Anand\Draft
Pg. 496